


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गादरा मुकाम गादरा

भूपरिंह बनाम हरीरिंह आदि

किरम मुकदमा - 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर - 50/24

तारीख हुसम	हुसम का कार्यवाही मय इनीशियल अज	नम्बर व तारीख फाईल मुकदमा की जारी हुसम
9.06.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर व पत्रावली में पेश दस्तावेजो तथा प्रार्थी के शपथ पत्र से संतुष्ट होकर उभयपक्षकार के विरुद्ध आगामी पेशी तक इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे चक मुन्सरीवारानी के खाता सं0 94/91 के खसरा सं0 280 की कुल 5.7920 है0 में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज हरिसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। DILRMP कार्य, रास्ता-खाला आदि पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु तीन दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.07.2024 को पेश हो</p>	
23/7/24	<p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली मय आदेशानुसार वास्ते... त.दी दिनांक 25/9/24 को पेश हो।</p>	
25/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... त.दी... के साथ दिनांक 25/11/24 को पेश हो।</p>	
20/11/24	<p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली मय आदेशानुसार वास्ते... त.दी दिनांक 14/2/25 को पेश हो।</p>	
14/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण से तामिल आवश्यक रूप से ठहाना सुनिश्चित करे। पत्रावली गन्ते तलबी दिनांक 24/3/25 को पेश हो।</p>	
25/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... त.दी... के साथ दिनांक 19/5/25 को पेश हो।</p>	

19/5/25 पत्रावली पेश हुई वहील उपरि उपस्थित  
पत्रावली वाले तलवी कम्प्लायंस विभाग  
पत्रावली के पेश को।

47/25

पत्रावली पेश हुई कम्प्लायंस  
अधिकारी PDAU के पास  
दिनांक 3/9/25 को पेश हो।

श्री सुकदमा  
श्री सोमेश्वर  
श्री पद्मनाभ  
श्री सुकु  
श्री  
श्री  
श्री

पुनः वहील उपरि कम्प्लायंस  
पत्रावली के शरीरगत होने के कारण पत्रावली  
भंगने की जालाने का फलत कि पत्रावली का  
निवृत्त हो गये। पत्रावली उपस्थित विभाग  
को पत्रावली के सभी लेख पर कार्यवाही  
का कार्य ले कर का कार्यवाही करी।